



कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
पंजाब एवं यू. टी., सैक्टर 17 - ई, चंडीगढ़ - 160017.

Office of The Accountant General (A&E),
Punjab & U.T., Sector-17 E,
Chandigarh - 160017.

Phone: 0172-2702906, 2703117, 2709576,
Fax - 0172-2702286

Mail: agaepunjab@cag.gov.in

Admn I/APAR/GC/24-25/16

Dated: 15.04.2024

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

In continuation to the Office Order No. Admn.I/APAR/GC/23-24/524 dated 26.03.2024, all officials/officers are directed to ensure the compliance of deadline (15.04.2024) for writing self-appraisal, failing which the report will be written without self-appraisal by the Reporting officer.

कार्यालय आदेश Admn. I/APAR/GC/23-24/524 dated 26.03.2024 की निरंतरता में सभी शाखा कर्मियों/अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी APAR (स्व-मूल्यांकन) नियत तिथि 15.04.2024 तक लिख कर सम्बंधित रिपोर्टिंग अधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करें। नियत तिथि तक उपरोक्त की अनुपालना नहीं किए जाने की स्थिति में APAR (स्व-मूल्यांकन) के बगैर रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी।

हस्ता/-
प्रवर उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक:-15.04.2024

संख्या - प्रशा-I/APAR/GC/24-25/216-22

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है

1. महालेखाकार के सचिव
2. सभी समूह अधिकारी
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, PPCB, TM-II एवं प्रशासन UT
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी CRT- I, II, कल्याण एवं PAO.
5. प्रशासन II, III, आंतरिक प्रशिक्षण कक्ष
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वर्क्स प्रशासन)
7. IT सपोर्ट कक्ष

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन-I)